

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 403/2025

श्री अमरपाल सिंह पुत्र श्री अमरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ (राज.)

-वादी

बनाम्

श्री अमरपाल सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)  
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट  
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

## दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण  
मिन् जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन्  
जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि चक 2 ए.एम.पी. के खाता  
सं. 7/109 खाता अमरपाल सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073(जमाबन्दी  
2078) में दर्ज कुल 6.325 है. आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 अमरपाल सिंह  
पुत्र श्री गुरचरण सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 3.1625 है. आराजी का  
वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 अमरपाल सिंह पुत्र  
श्री गुरचरण सिंह का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व  
रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं.  
1 अमरपाल सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत आराजी वादी/प्रतिवादी का हिस्सा बैंक रहन नहीं है तो अमल  
दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

मिज .....X..... निल .....X..... मुब्लिक .....X.....निल .....X..... बाबत् .....  
.....निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की  
तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 21.8.2025 को  
जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संगरिया